हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

(पूर्व नाम–दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग), रायपुर नाका दुर्ग (छ.ग.).491001

ई मेल :registrar@durguniversity.ac.in वेब साइट : www.durguniversity.ac.in दूरभाष : 0788-2359100

क्रमांक : 1075/नामांकन/2025 दुर्ग, दिनांक 01/10/2025

// अधिसूचना //

हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग के शैक्षणिक सत्र 2025–26 के समस्त प्रथम वर्ष के स्नातक/स्नातकोत्तर/सेमेस्टर एवं बी.एड./बी.एस.सी.बी.एड/बी.ए. बी.एड और द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के स्नातक/स्नातकोत्तर के प्रवेशित छात्र/छात्राओं के लिए *नामांकन आवेदन फार्म ऑनलाईन पद्धति द्वारा विश्वविद्यालय के वेबसाइट www.durguniversity.ac.in के माध्यम से भरने एवं नामांकन शुल्क की राशि रू.150/– सहित जमा करने की तिथि में वृद्धि करने एवं द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के छात्रों के भी नामांकन किये जाने की जानकारी, अभ्यर्थियों/महाविद्यालयों को निम्न कंडिका अनुसार दिशा–निर्देश दिया जाता है –*

(नामांकन शुल्क – ए.टी.एम. कार्ड/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग/यू.पी.आई. के माध्यम से जमा किए जायेंगे।)

क्र.	नामांकन फार्म एवं शुल्क	दिनांक
1.	ऑनलाईन द्वारा शुल्क सहित आवेदन करने की तिथि	01.10.2025 से 15.10.2025
2.	ऑनलाईन नामांकन आवेदन की हार्डकॉपी संबंधित महाविद्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि	17.10.2025
3.	महाविद्यालय द्वारा समस्त विद्यार्थियों के नामांकन आवेदन आवश्यक दस्तावेजों सहित विश्वविद्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि	22.10.2025

टीपः–

1. नामांकन फार्म **www.durguniversity.ac.in** ⟶ **Quick Links** ⟶ **Online Enrollment Form 2025-26** पर Click कर भरे जा सकते हैं।
2. विद्यार्थी, **https://durg.ucanapply.com/smartexam/public/student** के माध्यम से भी ऑनलाईन नामांकन आवेदन फार्म भर सकते हैं।

निर्देशः–

1. नामांकन फार्म भरने के लिए अभ्यर्थियों को प्रवेश आवेदन फार्म के समय उपयोग की गई यूजर आई.डी. एवं पासवर्ड का उपयोग करना अनिवार्य होगा। नामांकन फार्म हेतु नवीन रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है।
2. समस्त छात्र/छात्राओं को ऑनलाईन नामांकन के भरने के पूर्व ए.बी.सी. आई.डी. (एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा ।
3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधान अनुरूप स्नातक स्तर पर स्वध्यायी विद्यार्थी को विषय सेमेस्टर (तृतीय/पंचम/सप्तम) में स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश NEP नियमानुसार ही दिया जायेगा ।
4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत सत्र 2024–2025 में जिन विद्यार्थी ने स्वध्यायी/नियमित रूपमें महाविद्यालयों में प्रवेश लिया गया था और जिनका पंजीयन/नामांकन किया गया था । ऐसे विद्यार्थियों को पुनः नामांकन करने की आवश्यकता नही है ।
5. कृपया ध्यान रखें कि यदि छात्र/छात्रा द्वारा इस विश्वविद्यालय से पूर्व में नियमित छात्र के रूप में नामांकन कराया गया है तो उन्हें पुनः ऑनलाईन नामांकन आवेदन फार्म भरने की आवश्यकता नहीं है।
6. अभ्यर्थियों को नामांकन आवेदन की हार्डकॉपी संबंधित महाविद्यालय में समस्त अनिवार्य दस्तावेजों के साथ निर्धारित अंतिम तिथि तक अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।

7. अभ्यर्थी को ऑनलाईन नामांकन फार्म के साथ निम्न दस्तावेज–(1) ऑनलाईन आवेदन फार्म, (2) 10वी/12वी की अंकसूची, (3) स्नातक/स्नातकोत्तर की प्रति वर्ष की अंकसूची (अनिवार्यतः अनुसार), ए.बी.सी. आई. डी. की छायाप्रति (4) माइग्रेशन की मूलप्रति, (5) पात्रता की मूलप्रति (अनिवार्यतः अनुसार), (6) नाम/उपनाम परिवर्तन फार्म/विवाह प्रमाण पत्र/शपथ पत्र (अनिवार्यतः अनुसार) करना होगा।

8. छत्तीसगढ़ के बाहर स्थित बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को ऑनलाईन के माध्यम से ही नामांकन शुल्क की राशि रू. 150/– एवं अप्रवासन (Migration) शुल्क की राशि रू. 360/– सहित आवेदन करना अनिवार्य होगा ।

9. हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग में नवीन सत्र 2025–26 में नियमित छात्र/छात्रा (जिन्होने पूर्व में इस विश्वविद्यालय से नियमित पाठ्यक्रम में प्रवेश नही लिया है) के रूप में प्रवेशित अभ्यर्थियों को ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने हेतु रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है

10. *यह भी कि यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा इस विश्वविद्यालय से किसी भी पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में नियमित छात्र/छात्रा हेतु नामांकन कराया गया है और द्वितीय वर्ष अमहाविद्यालयीन (प्राइवेट) या गेप रहा है या तृतीय वर्ष में पुनः नियमित प्रवेश लेते है तो ऐसे अभ्यर्थियों को पुनः नवीन नामांकन नही करना है पूर्व नामांकन ही मान्य होगा या नियमानुसार नामांकन नवीनीकरण कराना होगा ।*

11. *यह भी कि यदि अभ्यर्थी द्वारा स्नातक/स्नातकोत्तर में किसी भी वर्ष में नियमित छात्र हेतु प्रवेश लिया है और नामांकन कराया गया है तो उन्हे किसी भी स्थिति में पुनः नामांकन करने की आवश्यकता नही है*

12. *ऐसे अभ्यर्थी जो पूर्व में इस विश्वविद्यालय में नियमित छात्र के रूप में अध्ययन कर चुके है और अपना माइग्रेशन निकाल लिये है और अभ्यर्थी द्वारा यदि पुनः इसी विश्वविद्यालय से संबंद्ध महाविद्यालय में अन्य पाठ्यक्रम में प्रवेश लेते है तो उसे पुनः नवीन ऑनलाईन नामांकन कराना अनिवार्य होगा ।*

13. CBSE बोर्ड से उत्तीर्ण ऐसे छात्र/छात्रा जिन्होंने छत्तीसगढ़ में स्थित किसी विद्यालय से 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण की है उन्हें अप्रवासन (Migration) शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा।

14. द्वितीय/तृतीय वर्ष के ऐसे अभ्यर्थी जो पूर्व सत्र में हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग से अमहाविद्यालयीन (प्राइवेट) छात्र/छात्रा थे। वे पूर्व में प्राप्त **आई.डी./पासवर्ड** द्वारा ऑनलाइन माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर नामांकन हेतु आवेदन कर सकेगें।

15. ऐसे अभ्यर्थी जो विवाह उपरांत अपना नाम/उपनाम परिवर्तन कराना चाहते है वे नाम/उपनाम आवेदन फार्म सहित विवाह प्रमाण पत्र या शपथ पत्र के साथ विश्वविद्यालय कैश काउंटर में रू. 180/–राशि जमा कर रसीद प्रति ऑनलाईन आवेदन फार्म के साथ संलग्न कर संबंद्ध महाविद्यालय में जमा करेंगे ।

16. **विश्वविद्यालय से संबंद्ध महाविद्यालय को अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों को समस्त अनिवार्य दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि में विश्वविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा ।**

17. छात्र–छात्राएँ ऑनलाईन नामांकन फार्म भरने में किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर मोबाईल नं. **07314850140, 07314850101** (प्रातः10:30 बजे से सायं 05:30 बजे के मध्य) एवं ई–मेल **onlinehelp @durguniversity.in** पर सम्पर्क कर सकते हैं।

कुलसचिव
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

पृ.क्र. 1076/नामांकन/2025

दुर्ग, दिनांक 01/10/2025

प्रतिलिपिः

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा छत्तीसगढ़ शासन, महानदी भवन मंत्रालय, नया रायपुर।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, ब्लॉक–सी–30, द्वितीय/तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।